

कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश.

क्रमांक/स्था.5/1/37/10/ 5776

भोपाल, दिनांक 29/3/10

प्रति,

1. समस्त संभागीय उपायुक्त,
आदिवासी एवं अनु.जा.विकास,
म.प्र.
2. समस्त परियोजना प्रशासक,
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, म.प्र.
3. समस्त सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास, म.प्र.
4. समस्त अनुसंधान अधिकारी,
आदिवासी विकास, म.प्र.


विषय:- अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करने बाबत

संदर्भ:- म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्र.सी-5-1/2010/3/
एक, दिनांक 15.02.2010

म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञापन में दिए गये निर्देशानुसार म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत प्रत्येक अधिकारी को शासकीय सेवा में पहली बार नियुक्ति के समय धारित अचल सम्पत्ति का विवरण तथा अद्यतन (31 दिसम्बर 2009 की स्थिति में) धारित अचल सम्पत्ति का विवरण विभाग के वेबसाईट में प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य किया गया है ।

अतः सेवा में प्रथम नियुक्ति के समय धारित अचल सम्पत्ति तथा वर्तमान में धारित अचल सम्पत्ति का विवरण संलग्न प्रपत्रों में दिनांक 10 अप्रैल 2010 तक अनिवार्य रूप से शासन को प्रस्तुत करें तथा इसकी एक प्रति इस कार्यालय में भी प्रस्तुत करें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


अपर आयुक्त,
आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश.


पृ.क्रमांक/स्था.5/1/37/10/ 5777

भोपाल, दिनांक 29/3/10

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, म.प्र. भोपाल.
2. संचालक, आदिम जाति एवं अनुसंधान विकास संस्थान, भोपाल.
3. संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनायें, भोपाल.
4. प्रबंध संचालक, आदिवासी वित्त एवं विकास निगम/अनु.जा.वित्त एवं विकास निगम, भोपाल.

5. सचिव, म.प्र.राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, भोपाल.
6. संबंधित श्री -----
----- म.प्र. उक्त जानकारी
प्रस्तुत की जाये ।


29/3/16
अपर आयुक्त,
आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो 2. वर्तमान धारित पद
3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें उनके स्वामित्व में अचल सम्पत्ति का विवरण उनके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेमुभो-2 अससाप्रवि-14-2-2001-5,000.

हस्ताक्षर

नाम

पद

विभाग

दिनांक 31.12.2009 को धारित चल/ अचल संपत्ति का विशेष विवरण।

1. अधिकारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो—
2. वर्तमान धारित पद—
3. प्रथम नियुक्ति के समय कुल वेतन— रु. / - + मंहगाई भत्ता लगभग रु. / - प्रतिमाह
4. प्रथम नियुक्ति का पद एवं दिनांक—
5. वर्तमान पद का कुल वेतन— रु.

उस जिले ,उप संभाग तहसील तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे गृह तथा भूमि आवासीय अन्य भवन प्लाट एवं कृषि	संपत्ति अर्जित करने का दिनांक मूल्य व उसका उस समय मूल्य	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत भेंट या किसी प्रकार से अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा
1	2	3	4	5	6

यदि विरासत में नहीं है तो शासन को सूचना देना/ अनुमति प्राप्त करने का दिनांक	यदि विरासत या भेंट नहीं है तो उनके लिए लगाए गए वित्तीय साधनों का पूर्ण विवरण जिनसे नगद ऋण या भेंट ली है तो उसका पूरा पता दिया जावे।	यदि संपत्ति में कोई सुधार/ विस्तर किया गया है तो उसकी लागत एवं वित्तीय साधनों का विवरण	क्या सुधार/ विस्तार के लिए शासन को नियमानुसार सूचित किया गया या अनुमति ली गई।	संपत्ति वार्षिक आय	यदि संपत्ति को बेचा या हस्तांतरण किया गया है तो उसका पूर्ण विवरण	अभ्युक्ति
7	8	9	10	11	12	13